

कार्यालय सचिव, द्वेत्रीय परिवहन प्राधिकार संभाग, रायपुर (छ.ग.)

नरती क्रमांक

पृष्ठ क्रमांक

विषय :- मालयान क्रमांकका मोटरयान अधिनियम
1988 की धारा 79/ 87 (बी) में विहित प्रावधानों के अंतर्गत रथायी / अरथायी अनुज्ञापत्र रखीकृति बाबत ।

1. आवेदक श्रीद्वारा उसकी मालयान क्रमांकअवधिसेके लिये रथायी / अरथायी अनुज्ञापत्र रखीकृत किये जाने बाबत आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में विहित शुल्क की राशि रु.चालान क्रमांकदिनांकको जमा कर प्रस्तुत किया गया है । जिसका चालान रिकनसाईल दिनांकको किया गया ।
2. पंजीयन पुरितका के अनुसार वाहन का मॉडलहै, तथा भार वहन क्षमताकि.ग्रा. है । वाहन का सकलयान भारकि.ग्रा. लदान रहित भारकि.ग्रा. है ।
3. वाहन का चेसिस क्रमांकएवं वाहन का इंजन क्रमांकहै ।
4. वाहन की पंजीयन तिथिहै ।
5. वीमा की वैद्यताहै ।
6. फिटनेस की वैद्यताहै ।
7. इस पंजीकृत वाहन पर पंजीयन तिथि से किसी भी प्रकार का कर बकाया नहीं है, एवं त्रैमासिक कर दिनांकतक जमा है ।
8. वाहन स्वामी के स्वामित्व के पूर्व मालयान परमिट की जानकारीएवं वाहन की संख्या
9. प्रस्तुतकर्ता :-
आवेदक का नाम श्रीमोबाईल नं.
वाहन स्वामी के प्रतिनिधि का नाममोबाईल नं.

प्रकरण अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है ।